सन्दर्भ सं- 3/GOVT/0115 31.03.2020

सेवा में,
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

विषय: प्रदेश के उद्यमियों की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी एवं उचित संरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,
देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा रोजगार सृजन में उद्योगों का योगदान आप भली भांति जानते है। आज अप्रत्याशित आपदा के समय में भी अनेक उद्योग आवश्यक सेवाओं और उत्पादों का निर्माण करने में दिन रात लगे हैं। जो उद्योग लॉक डाउन के कारण बंद हैं वे भी भारी नुकसान सहते हुए अपने कर्मचारियों तथा श्रमिको का भरण पोषण करते हुए उनकी हर सम्भव सहयता कर रहे है।

आज उत्तर प्रदेश का उद्यमी माननीय प्रधानमंत्री और आपके आन्हान का सक्षर पालन कर रहा है। यहाँ तक की समाज सेवा में भी अपना भरपूर योगदान दे रहा है। परन्तु खेद के साथ आपको सूचित कर रहे है कि प्रदेश के कुछ अधिकारी बिना सोचे समझे उद्यमियों का मनोबल गिराने तथा उन्हें प्रताड़ित करने वाले आदेश जारी कर रहे है जिसके दो उद्धाहृण निम्नलिखित है:-

1. दिनांक 25 मार्च 2020 को श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा एक परिपत्र संख्या- 314/ट्रे०यू०-20 समस्त ट्रेड यूनियनस को जारी किया गया जिसमे नियोजको द्वारा श्रमिको को सवेतन अवकाश दिए जाने के शासनादेश से श्रमिको के अवगत कराने का आग्रह किया गया है।
   आईआईए का मानना है कि यह परिपत्र ट्रेड यूनियनों को प्रेषित करना अनावश्यक कदम है इससे कुछ असमाजिक तत्व श्रमिको एवं नियोक्ताओं को अवश्य ब्लैक मेल करेंगे और औद्योगिक अशांति फैलायेंगे। ट्रेड यूनियनों को उद्योगों की इस प्रकार की पहरेदारी का काम देना सरकार द्वारा उद्यमियों पर विश्वास न करना दर्शाता है।
   महोदय, उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी उद्यमी के परिवार के सदस्य के समान ही होते है। अत: इन कर्मचारियों के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी का ख्याल उद्यमी स्वयं रखता है।
   ऐसे में कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी भी उद्यमियों को प्रताड़ित करने के लिए अनावश्यक दवाव डालते हैं।
   आज उद्यमी की हालत बहुत खराब है। उत्पादन बंद है, आमदनी बंद है, बैंको के लोन व अन्य देनदारियां सर पर है, ऐसे में इस प्रकार के परिपत्र जारी करना उद्यमियों को और परेशान कर रहा है।

2. सभी को मालूम है कि उद्यमियों की माली हालत आज के परिपेक्षय में बहुत खराब है। ऐसे में निदेशक वाणिज्य उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन ने यह जानते हुए भी कि मार्च महीने में होली और लॉक डाउन के कारण उद्योग बंद थे, सभी डिस्कॉम प्रबंध निदेशको को पत्र जारी किया है कि अप्रैल में (मार्च का) बिजली बिल बिना मीटर रीडिंग लिए विगत तीन महीने की औसत के हिसाब से लिया जाये। यानि बिजली खर्च

नहीं की फिर भी उद्यमी की इस माली हालत में बिजली कम्पनियों को एडवांस में पैसा देना है। पत्र की प्रतिलिपी संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि दूसरे राज्यों की सरकारे उद्यमियों को बिजली बिल बाद में जमा करने की छुट दे रही है परन्तु उतर प्रदेश में उद्यमियों से उपभोग न की गई बिजली का बिल भी पहले ही जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे विन्रम निवेदन है कि सभी सरकारी विभागों तथा उपक्रमों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि प्रदेश के उद्यमियों को अनावश्यक प्रताड़ित न किया जाये।

धन्यवाद

पंकज कुमार
राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

1. माननीय कैबिनेट मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश

पंकज कुमार